रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06012025-259977
CG-DL-E-06012025-259977

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 96] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 6, 2025/पौष 16, 1946
No. 96] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 6, 2025/PAUSHA 16, 1946

## पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 2025

**का.आ. 98(अ).**—प्रारूप प्रयोग की अवधि समाप्ति वाले वाहन (प्रबंधन) नियम, 2024 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में का.आ. 367 (अ) तारीख 30 जनवरी, 2024 के अधीन प्रकाशित किया गया था, जिसमें उक्त प्रारूप के उपबंध वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराए जाने की तारीख से साठ दिनों की समाप्ति से पहले सभी व्यक्तियों से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, नियमों का प्रारूप युक्त राजपत्र जनता के लिए 30 जनवरी, 2024 को उपलब्ध करा दिया गया था

और, प्राप्त सभी आपत्तियों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक रूप से विचार किया गया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (1) के खंड (ii) और (x) तथा उपनियम (3) के खंड (घ) के साथ पठित, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1), उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (vii), धारा 6 की उपधारा (1), उपधारा (2) के खंड (ग) और खंड (घ), धारा 8, धारा 25 की उपधारा (2) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण संरक्षण (प्रयोग की अवधि समाप्ति वाले वाहन) नियम, 2025 है।

(2) ये 1 अप्रैल, 2025 से प्रवृत्त होंगे।

**2. लागू होना-** (1) ये नियम निम्नलिखित पर लागू होंगे,-

(क) निर्माता, वाहनों के रजिस्ट्रीकृत स्वामी, थोक उपभोक्ता, रजिस्ट्रीकृत वाहन स्क्रैपिंग केन्द्र, संग्रहण केंद्र, स्वचालित परीक्षण स्टेशन और वाहनों के परीक्षण, हैंडलिंग, प्रसंस्करण और प्रयोग की अवधि समाप्ति वाले वाहनों की स्क्रैपिंग में शामिल संस्थाएं, किंतु इन पर लागू नहीं होंगे:

(i) बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022 के अंतर्गत आने वाली अपशिष्ट बैटरियां;

(ii) प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अंतर्गत आने वाली प्लास्टिक पैकेजिंग ;

(iii) परिसंकटमय एवं अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 के अंतर्गत शामिल किए गए अपशिष्ट टायर और प्रयुक्त तेल ;

(iv) ई-अपशिष्ट(प्रबंधन) नियम, 2022 के अंतर्गत शामिल किया गया ई-कचरा।

(ख) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 2 के खंड (28) में परिभाषित सभी प्रकार के वाहन, और इसमें एक इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी संचालित वाहन, ई-रिक्शा या ई-कार्ट शामिल हैं, किन्तु निम्नलिखित पर लागू नहीं होंगे:

(i) कृषि ट्रैक्टर;

(ii) कृषि ट्रेलर;

(iii) कम्बाइन हार्वेस्टर; और

(iv) पावर टिलर.

**3. परिभाषाएँ** – (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) "अधिनियम" से पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) अभिप्रेत है;

(ख) "स्वचालित परीक्षण स्टेशन" का वही अर्थ होगा जो मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 56 की उपधारा 2 में दिया गया है;

(ग) "थोक उपभोक्ता" से एक सौ से अधिक वाहनों का स्वामित्व रखने वाला उपभोक्ता अभिप्रेत है, और इसमें मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 2 के खंड (42) में परिभाषित राज्य परिवहन उपक्रम शामिल हैं;

(घ) "केन्द्रीय बोर्ड" से जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन गठित केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अभिप्रेत है;

(ङ) "केन्द्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल" से नियम 16 के उप-नियम (1) के अंतर्गत विकसित और अनुरक्षित ऑनलाइन पोर्टल अभिप्रेत है;

(च) "संग्रहण केंद्र" का वही अर्थ होगा जो मोटर वाहन (वाहन स्क्रैपिंग केन्द्र का रजिस्ट्रीकरण और कार्य) नियम, 2021 के नियम 3 के उप-नियम (1) के खंड (ङ) में दिया गया है;

(छ) "निपटान" से किसी ऐसा क्रियाकलाप अभिप्रेत है जिससे पुनः उपयोग, पुनर्प्राप्ति, पुनर्चक्रण या नवीनीकरण का कार्य नहीं होता है और इसमें भौतिक-रासायनिक या जैविक उपचार या सुरक्षित लैंडफिल में निक्षेपण शामिल है;

IndiaCode

(ज) "पर्यावरण के अनुकूल प्रबंधन पद्धति" से प्रयोग की अवधि समाप्ति वाले वाहन का ऐसी रीति से संचालन और निपटान करना अभिप्रेत है जिससे मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को किसी प्रतिकूल प्रभाव से बचाया जा सके, जो पुराने हो चुके वाहन में निहित किसी पदार्थ के कारण हो सकता है;

(झ) "प्रयोग की अवधि समाप्ति वाले वाहन" का अर्थ मोटर वाहन (वाहन स्क्रैपिंग केन्द्र का रजिस्ट्रीकरण और कार्य) नियम, 2021 के नियम 3 के उप-नियम (1) के खंड (च) में निर्दिष्ट अर्थ होगा;

(ञ) " विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व" से पुराने हो चुके वाहन को पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित रीति से नष्ट करने के लिए उत्पादक की उत्तरदायित्व अभिप्रेत है;

(ट) "विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र" से केन्द्रीय बोर्ड द्वारा नियम 9 के अधीन जारी प्रमाणपत्र अभिप्रेत है;

(ठ) "सुविधा केन्द्र" से ऐसा कोई स्थान अभिप्रेत है जिसका उपयोग पुराने हो चुके वाहनों के संग्रहण, भंडारण, पृथक्करण, पुनर्चक्रण या नवीनीकरण या निपटान के लिए किया जाता है;

(ड) "प्रारूप" से इन नियमों के साथ संलग्न प्रारूप अभिप्रेत है;

(ढ) "खतरनाक अपशिष्ट" का वही अर्थ होगा जो परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापार संचलन) नियम, 2016 के नियम 3 के उप-नियम (1) के खंड (17) में है।

(ण) "विनिर्माता" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो मोटर वाहनों के विनिर्माण में लगा हुआ है;

(त) "गैर-परिवहन वाहन" का वही अर्थ होगा जो केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 2 के खंड (ज) में दिया गया है;

(थ) "उत्पादक" से ऐसी इकाई अभिप्रेत है जो निम्नलिखित कार्य में संलग्न है :

(i) अपने स्वयं के ब्रांड के अंतर्गत वाहनों का विनिर्माण या संयोजन और बिक्री; या

(ii) अन्य निर्माताओं या आपूर्तिकर्ताओं द्वारा उत्पादित वाहनों की बिक्री अपने स्वयं के ब्रांड द्वारा; या

(iii) वाहनों का आयात।

(द) "रजिस्ट्रीकृत स्वामी" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके नाम पर वाहन रजिस्ट्रीकृत है, और जहां ऐसा व्यक्ति अवयस्क है, वहां ऐसे अवयस्क का अभिभावक;

(ध) "पुनर्चक्रणकर्ता" से पुराने हो चुके वाहनों की किसी भी सामग्री के पुनर्चक्रण में लगी हुई इकाई अभिप्रेत है;

(न) "पुनर्चक्रण" से तात्पर्य किसी भी ऐसी प्रक्रिया अभिप्रेत है जिसके द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को उत्पादों और कच्चे माल में परिवर्तित किया जाता है;

(प) "नवीनीकरणकर्ता" से प्रयोग की अवधि समाप्ति वाले वाहनों की सामग्रियों के नवीनीकरण में लगी इकाई अभिप्रेत;

(फ) "रजिस्ट्रीकृत वाहन स्क्रैपिंग केन्द्र" का अर्थ मोटर वाहन (वाहन स्क्रैपिंग केन्द्र का रजिस्ट्रीकरण और कार्य) नियम, 2021 के नियम 3 के उप-नियम (1) के खंड (ट) में निर्दिष्ट अर्थ होगा;

(ब) "अनुसूची" से इन नियमों से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;

(भ) "राज्य बोर्ड" से जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) की धारा 4 के अधीन गठित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अभिप्रेत है और इसमें संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में प्रदूषण नियंत्रण समिति भी शामिल है;

(म) "भंडारण" से पुराने हो चुके वाहनों के भंडारण अभिप्रेत है, जिसमें उसके घटक या भाग शामिल हैं;

(य) "परिवहन वाहन" का वही अर्थ होगा जो मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 2 के खंड (47) में दिया गया है;

(य क) "उपचार" से प्रयोग की अवधि समाप्त होने के बाद वाहन को प्रदूषण-निवारण, तोड़ने, काटने, श्रेडर अपशिष्टों की पुनर्प्राप्ति या निपटान की तैयारी के लिए सौंप दिए जाने के बाद की कोई भी क्रियाकलाप, और प्रयोग की अवधि समाप्त होने वाले वाहन और उसके घटकों की पुनर्प्राप्ति या पुनर्चक्रण या निपटान के लिए किया गया कोई अन्य कार्य अभिप्रेत;

(य ख) "वाहन" का वही अर्थ होगा जो मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 2 के खंड (28) में दिया गया है और इसमें इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी चालित वाहन, ई- रिक्शा या ई-कार्ट शामिल हैं।

(2) उन शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त हैं, और परिभाषित नहीं है किंतु पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में हैं।

**4. उत्पादक का उत्तरदायित्व –** (1) प्रत्येक उत्पादक -

(i) उन वाहनों के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व का दायित्व पूरा करेगा जिन्हें उत्पादक ने घरेलू बाजार में पेश किया है या प्रस्तुत करेगा, जिसमें अनुसूची में निर्दिष्ट स्क्रैपिंग लक्ष्यों को सुनिश्चित करने के लिए स्व-उपयोग में लाए जाने वाले वाहन भी शामिल हैं;

(ii) निर्माता द्वारा घरेलू बाजार में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने वाले वाहनों के लिए अनुसूची में उल्लिखित पुराने हो चुके वाहनों के स्क्रैपिंग लक्ष्यों को पूरा करेगा;

(iii) वैधता समाप्ति वाले वाहनों को रजिस्ट्रीकृत वाहन स्क्रैपिंग केन्द्र या अभिहीत संग्रहण केंद्रों पर जमा करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु आवश्यक उपाय करेगा;

(iv) अपने स्वयं के रजिस्ट्रीकृत वाहन स्क्रैपिंग केन्द्र द्वारा या रजिस्ट्रीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा वाली किसी इकाई द्वारा सृजित विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र की खरीद के माध्यम से विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व को पूरा करेगा;

(v) कोई भी स्कीम जैसे कि बायबैक स्कीम, जमा वापसी स्कीम या कोई अन्य योजना लागू करना, तथा विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व के दायित्व को पूरा करने के लिए किसी अन्य इकाई को अभिहीत करेगा;

(vi) केंद्रीय बोर्ड से केंद्रीयकृत ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से उत्पादक के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करेगा।

(vii) पिछले वित्तीय वर्ष के लिए 30 जून तक केंद्रीय बोर्ड को केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर प्ररूप 1 में वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेगा -

(क) वाहनों की संख्या और प्रकार (परिवहन या गैर-परिवहन) तथा बाजार में उपलब्ध कराए गए वाहनों में प्रयुक्त इस्पात के भार के संबंध में सूचना, जिसमें पिछले वित्तीय वर्ष में स्वयं के उपयोग में लाए गए वाहन भी शामिल हैं;

(ख) पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व के दायित्वों की पूर्ति के संबंध में;

(viii) केंद्रीय बोर्ड को चालू वर्ष के लिए अपने विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व के दायित्वों की घोषणा उसी वर्ष 30 अप्रैल तक करना;

(ix) विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व रजिस्ट्रीकरण या निर्धारित दायित्व में निहित सूचना में किसी परिवर्तन तथा विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व में निर्धारित दायित्व में निर्दिष्ट वाहनों को बाजार में उपलब्ध कराने के संबंध में किसी स्थायी समाप्ति की सूचना केन्द्रीय बोर्ड को देगा;

(x) प्रयोग की अवधि समाप्ति वाले वाहनों के संचालन और प्रबंधन में शामिल किसी भी इकाई द्वारा इन नियमों के उपबंधों के उल्लंघन या गैर-अनुपालन को केंद्रीय बोर्ड या राज्य बोर्ड के ध्यान में लाएगा;

(xi) केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रकाशित एआईएस-129 के उपबंधों का अनुपालन करने के लिए उपाय करेगा।

IndiaCode

(2) कोई भी उत्पादक, इन नियमों के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकृत न होने वाली किसी भी इकाई के साथ वैधता अवधि समाप्त हो चुके वाहनों को नष्ट करने या इन नियमों के अन्तर्गत अपने विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए किसी भी प्रकार से अनुबंध नहीं करेगा।

(3) कोई उत्पादक इन नियमों के अंतर्गत अपने विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए किसी रजिस्ट्रीकृत इकाई को नियुक्त कर सकेगा।

(4) प्रत्येक उत्पादक को वाहनों के संधारणीय उत्पादन के लिए उपाय करने होंगे, जिसमें केन्द्रीय बोर्ड द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्य करना भी शामिल है।

(5) प्रत्येक उत्पादक को रजिस्ट्रीकृत स्वामी से पुराने हो चुके वाहन को किसी निर्दिष्ट संग्रहण केन्द्र जिसमें उसका विक्रय केन्द्र भी शामिल है, पर प्राप्त करने के लिए आवश्यक व्यवस्था करनी होगी और निर्दिष्ट संग्रहण केन्द्र, विक्रय केन्द्र की ऐसी सूची को अपनी वेबसाइट पर तथा अपने विक्रय केन्द्रों और सेवा केन्द्रों के किसी प्रमुख स्थान पर अपलोड करना होगा। ऐसे अभिहीत संग्रहण केन्द्रों की सूची केन्द्रीय बोर्ड को केन्द्रीयकृत ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाएगी।

(6) यदि उत्पादक अपना परिचालन बंद कर देता है, तो उसे इन नियमों के अनुसार परिचालन बंद होने तक बाजार में पहले से उपलब्ध कराए गए वाहनों के संबंध में अपने विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व का अनुपालन करना होगा।

(7) प्रत्येक उत्पादक जागरूकता अभियान चलाएगा और ग्राहकों को प्रयोग की अवधि समाप्त हो चुके वाहनों को रजिस्ट्रीकृत वाहन स्क्रैपिंग केन्द्र या निर्दिष्ट संग्रहण केंद्र पर सुरक्षित जमा करने के लिए प्रोत्साहित करेगा।

**5. रजिस्ट्रीकृत स्वामी और थोक उपभोक्ता का उत्तरदायित्व** - (1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत स्वामी और थोक उपभोक्ता को यह सुनिश्चित करना होगा कि वाहन का परीक्षण मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 56 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 52 के अनुसार किया गया है।

(2) जब कोई वाहन, मोटर वाहन (वाहन स्क्रैपिंग केन्द्र का रजिस्ट्रीकरण और उसके कार्य) नियम, 2021 के अनुसार प्रयोग की अवधि समाप्त होने वाला वाहन बन जाता है, तो रजिस्ट्रीकृत स्वामी या थोक उपभोक्ता को वाहन के प्रयोग की अवधि समाप्त होने की तारीख से एक सौ अस्सी दिनों की अवधि के भीतर उत्पादक के किसी भी अभिहीत बिक्री आउटलेट या अभिहीत संग्रहण केंद्र या रजिस्ट्रीकृत वाहन स्क्रैपिंग केन्द्र में पुराने हो चुके वाहन को जमा करना होगा।

(3) कोई भी व्यक्ति किसी प्रयोग की अवधि समाप्त हो चुके वाहन को उप-नियम (2) में निर्दिष्ट अवधि से अधिक अपने कब्जे में नहीं रखेगा।

(4) थोक उपभोक्ता को राज्य बोर्ड से केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करना होगा।

(5) थोक उपभोक्ता को पिछले वित्तीय वर्ष के लिए 30 जून को या उससे पहले केंद्रीयकृत ऑनलाइन पोर्टल पर **प्ररूप 2** में वार्षिक रिटर्न फाइल करना होगा, जिसमें उसके स्वामित्व वाले वाहनों का ब्यौरा होगा और उत्पादक के अभिहीत बिक्री आउटलेट या अभिहीत संग्रहण केंद्र या रजिस्ट्रीकृत वाहन स्क्रैपिंग केन्द्र में जमा किए गए पुराने हो चुके वाहनों को स्क्रैप करने के लिए ऐसे प्रयोग की अवधि समाप्त हो चुके वाहनों का ब्यौरा होगा।

**6. संग्रहण केन्द्र का उत्तरदायित्व-** (1) प्रत्येक संग्रहण केन्द्र को वैधता अवधि समाप्त हो चुके वाहनों को एकत्रित और संगृहीत करना होगा तथा उन्हें रजिस्ट्रीकृत वाहन स्क्रैपिंग केन्द्र में भेजना होगा।

(2) प्रत्येक संग्रहण केन्द्र, पुराने हो चुके वाहनों को पर्यावरण के अनुकूल रीति से संभालेगा तथा उन्हें रजिस्ट्रीकृत वाहन स्क्रैपिंग केन्द्र में भेजेगा।

(3) संग्रहण केन्द्र अपने द्वारा प्राप्त और रजिस्ट्रीकृत वाहन स्क्रैपिंग केन्द्र को भेजे गए पुराने हो चुके वाहन का रिकार्ड रखेगा तथा जिस रीति से ऐसे वाहन को संभाला जाता है उसका भी रिकार्ड रखेगा।

**7. स्वचालित परीक्षण केन्द्र का उत्तरदायित्व.-** (1) स्वचालित परीक्षण केन्द्र केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 182 के अंतर्गत अनुपयुक्त घोषित किए गए सभी वाहनों के ब्यौरे सीधे तौर पर या उक्त नियमों के नियम 181 के उप-नियम (1) के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल को लिंक करके केन्द्रीयकृत ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करेगा।

**8. रजिस्ट्रीकृत वाहन स्क्रैपिंग केन्द्र का उत्तरदायित्व.-** (1) रजिस्ट्रीकृत वाहन स्क्रैपिंग केन्द्र पर्यावरण के अनुकूल रीति से पुराने हो चुके वाहनों की स्क्रैपिंग से संबंधित निम्नलिखित क्रियाकलाप करेगा, अर्थात:-

(i) उपचार (प्रदूषण-मुक्ति, तरल पदार्थ, गैस, उत्प्रेरक, पारा युक्त भागों, बैटरियों और खतरनाक अपशिष्ट का संग्रहण, प्रदूषण निवारण);

(ii) विघटन (विभिन्न प्रकार के अपशिष्टों का विनियोजन और पृथक्करण);

(iii) विभिन्न श्रेणियों के अपशिष्टों का अलग-अलग कूड़ेदानों में सुरक्षित भंडारण;

(iv) सामग्री (प्लास्टिक, धातु, टायर, उत्प्रेरक कन्वर्टर्स, मैग्नेट, बैटरी और ई-कचरा) का स्वयं या अधिकृत पुनर्चक्रणकर्ता या नवीनीकरणकर्ता के माध्यम से पुनर्चक्रण और नवीनीकरण।

(2) रजिस्ट्रीकृत वाहन स्क्रैपिंग केन्द्र -

(क) अनुपयुक्त वाहनों या वैधता अवधि समाप्त हो चुके वाहनों को स्क्रैपिंग के लिए प्राप्त करेगा तथा संबंधित कानूनों के उपबंधों के अनुसार उपचार, प्रदूषण-निवारण, विघटन, पृथक्करण और स्क्रैपिंग क्रियाकलाप संचालित करेगा।

(ख) प्रयोग की अवधि समाप्त हो चुके वाहनों से प्राप्त सभी और पृथक सामग्रियों को, पुनर्चक्रण या नवीनीकरण सुविधा न होने की स्थिति में, घटकों या सामग्रियों के पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग के लिए रजिस्ट्रीकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं या नवीनीकरणकर्ताओं, सह-प्रसंस्करणकर्ताओं के पास भेजेगा;

(ग) पुनर्चक्रण/नवीनीकरण नहीं की जा सकने वाली सामग्री और उपयोग न की जा सकने वाली खतरनाक सामग्री को परिसंकटमय एंव अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापारीय संचलन) नियम, 2016 के अधीन प्राधिकृत साझा खतरनाक अपशिष्ट शोधन, भण्डारन और निपटान सुविधा में भेजेगा;

(घ) उत्पादकों द्वारा खरीद के लिए केंद्रीय बोर्ड द्वारा विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाण पत्र जारी करने के लिए केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर जीवन-समाप्त-वाहनों से स्टील की मात्रा के आधार पर प्रत्येक जीवन-समाप्त वाहन के प्रसंस्करण हेतु विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाण पत्र का आदान-प्रदान करना;

(ङ) जीवन-समाप्त-वाहनों की प्राप्ति इनसे उत्पन्न सामग्री और अधिकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं/ नवीनीकरणकर्ताओं या शोधन केंद्रों और निपटान केंद्रों को सौंपी गई विभिन्न प्रकार की अपशिष्ट सामग्री के वजन का रिकॉर्ड रखेगा।

(च) संबंधित राज्य बोर्ड से प्ररूप 5 में आवेदन करेगा और संचालन या रजिस्ट्रीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा के लिए रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करेगा।

(3) किसी रजिस्ट्रीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्र को पिछली तिमाही के अगले महीने की 30 तारीख तक प्राप्त जीवन-समाप्त-वाहनों के भार और पुनर्चक्रण/नवीनीकरण की गई या पुनर्चक्रण/नवीनीकरण, प्रसंस्करण हेतु साझा खतरनाक अपशिष्ट शोधन, भंडारण और निपटान केंद्रों को भेजी गई सामग्रियों के वजन (श्रेणी-वार) के संबंध में राज्य बोर्ड को **प्ररूप-3** में तिमाही विवरणी फाइल करना होगा और रिकार्ड रखना होगा।

**9. विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र –** (1) केंद्रीय बोर्ड ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्र के पक्ष में तैयार किए गए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाण पत्र को सत्यापित और प्रमाणित करेगा। केंद्रीय बोर्ड केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर ऐसे आदान-प्रदान के लिए एक प्रणाली विकसित करेगा।

(2) विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र मोटर वाहन (वाहन स्क्रैपिंग केंद्र के रजिस्ट्रीकरण और कार्य) नियम, 2021 के अनुसार रजिस्ट्रीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्र प्रसंस्कृत जीवन-समाप्त-वाहनों से प्राप्त इस्पात या रजिस्ट्रीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्र पर संसाधित अन्य स्टील स्क्रैप सामग्री के वजन के आधार पर तैयार किया जाएगा।

(3) विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व दायित्वों को पूरा करने के लिए रजिस्ट्रीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्र द्वारा तैयार किए गए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाण पत्र विनिर्माताओं द्वारा केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से खरीदे जा सकते हैं।

(4) रजिस्ट्रीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्र के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाण पत्र का अनुमान लगाने के लिए निम्नलिखित सूत्र का उपयोग किया जाएगा, अर्थात् :

विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाण पत्र (किग्रा में) = रजिस्ट्रीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा पर उत्पन्न इस्पात स्क्रैप का भार (किग्रा में)

परन्तु कि विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाण पत्र अन्य सभी जीवन-समाप्त-वाहनों सामग्रियों के पुनर्चक्रण/नवीनीकरण के लेखांकन और उपयोग अवधि समाप्ति वाले वाहन के कुल वजन में से रिकवर न करने योग्य/गैर-पुनर्चक्रणीय/गैर-नवीनीकरणीय खतरनाक सामग्रियों के पर्यावरणीय रूप से अनुकूल ढंग से निपटान की शर्त पर तैयार किए जाएंगे।

(5) कोई भी विनिर्माता विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाण-पत्र अपनी चालू वर्ष की विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व देयता के साथ-साथ पूर्ववर्ती वर्षों की कोई शेष देयता और चालू वर्ष की देयता खरीद सकता है।

(6) उत्पादक द्वारा क्रय किए गए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र, इन नियमों के अंतर्गत उनके दायित्वों के विरुद्ध स्वचालित रूप से समायोजित हो जाएंगे।

(7) समायोजन में प्राथमिकता पहले के दायित्व या पूर्ववर्ती वर्षों के दायित्वों को दी जाएगी।

(8) उत्पादक द्वारा अपने विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए उपयोग किए गए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र का पुनः आदान-प्रदान नहीं किया जाएगा।

(9) उत्पादक द्वारा खरीदा गया विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र किसी अन्य उत्पादक को हस्तांतरित नहीं किया जा सकेगा।

(10) विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र की खरीद और समायोजन से संबंधित सभी ऐसे लेन-देन रजिस्ट्रीकृत वाहन स्क्रैपिंग केन्द्रों द्वारा केंद्रीयकृत ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज और प्रस्तुत किए जाएंगे और उन्हें तिमाही रिटर्न में शामिल किया जाएगा।

(11) रजिस्ट्रीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्रों द्वारा तैयार किए गए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाण-पत्र विनिर्माता के उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए इन नियमों के अधीन पांच वर्ष की अवधि के लिए वैध होंगे।

**10. रजिस्ट्रीकरण तथा निलंबन या रद्दीकरण.-** (1) उत्पादक केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को रजिस्ट्रीकरण के लिए **प्ररूप 4** में आवेदन करेगा।

(2) रजिस्ट्रीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्र और थोक उपभोक्ता राज्य बोर्ड को रजिस्ट्रीकरण के लिए क्रमशः **प्ररूप 5** और **प्ररूप 6** में आवेदन करेगा।

(3) आवेदन प्राप्त होने पर, केन्द्रीय बोर्ड या राज्य बोर्ड उत्पादक या रजिस्ट्रीकृत स्क्रैपिंग केंद्र या थोक उपभोक्ता को रजिस्ट्रीकृत करेगा तथा पंद्रह दिनों के भीतर क्रमश: प्ररूप 7 और प्ररूप 8 में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करेगा।

(4) उप-नियम (3) के अधीन दिया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र तब तक वैध रहेगा जब तक इसे इन नियमों के अधीन निलंबित या रद्द नहीं कर दिया जाता है।

(5) केन्द्रीय बोर्ड, उत्पादक को सुनवाई का अवसर देने के बाद, उत्पादक द्वारा इन नियमों के किसी उपबंध का उल्लंघन या गैर-अनुपालन के मामले में, उत्पादक के रजिस्ट्रीकरण को निलंबित या रद्द कर सकता है।

(6) उप-नियम (5) के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण के निलंबन या रद्दीकरण से व्यथित उत्पादक, ऐसे निलंबन या रद्दीकरण के पैंतालीस दिनों के भीतर, ऐसी अपील के आधारों का उल्लेख करते हुए और जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गई है उसकी एक प्रति के साथ, केन्द्रीय सरकार को अपील कर सकेगा।

(7) केन्द्रीय सरकार, उप-नियम (6) के अंतर्गत दायर की गई अपील की प्राप्ति की तारीख से पैंतालीस दिनों की अवधि के भीतर सुनवाई करने और उसका निपटारा करने के लिए केन्द्रीय सरकार के किसी अधिकारी को, जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव से नीचे का न हो, प्राधिकृत कर सकेगी।

(8) राज्य बोर्ड, रजिस्ट्रीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्र या थोक उपभोक्ता को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात, रजिस्ट्रीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्र या थोक उपभोक्ता द्वारा इन नियमों के किसी उपबंध का उल्लंघन या अनुपालन न करने की स्थिति में, रजिस्ट्रीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्र या थोक उपभोक्ता के रजिस्ट्रीकरण को निलंबित या रद्द कर सकेगा।

(9) उप-नियम (8) के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण के निलंबन या रद्दीकरण से व्यथित रजिस्ट्रीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्र या थोक उपभोक्ता, ऐसे निलंबन या रद्दीकरण के पैंतालीस दिनों के भीतर राज्य सरकार को ऐसी अपील के आधार बताते हुए और उसके साथ अपील किए गए आदेश की एक प्रति संलग्न करते हुए अपील कर सकते हैं।

(10) राज्य सरकार, उप-नियम (9) के अंतर्गत दायर की गई अपील की प्राप्ति की तारीख से पैंतालीस दिनों की अवधि के भीतर सुनवाई करने और उसका निपटारा करने के लिए राज्य सरकार के किसी अधिकारी को, जो राज्य सरकार के सचिव नीचे का न हो, प्राधिकृत कर सकती है।

**11. केन्द्रीय सरकार की शिथिल करने की शक्तियाँ-** केन्द्रीय सरकार, आदेश द्वारा, और लिखित में कारण दर्ज करके, किसी विनिर्दिष्ट अवधि को शिथिल कर सकेगी जिसके भीतर उत्पादक या रजिस्ट्रीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्र या थोक उपभोक्ता द्वारा इन नियमों के अधीन रिटर्न फाइल किया जाना है।

**12. केन्द्रीय बोर्ड के उत्तरदायित्व.-** (1) केन्द्रीय बोर्ड इन नियमों के अधीन ऐसे रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के पंद्रह दिन के भीतर उत्पादक को केन्द्रीयकृत ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रीकृत करेगा।

(2) रजिस्ट्रीकरण तब तक वैध रहेगा जब तक कि इसे केंद्रीय बोर्ड द्वारा रद्द या वापस नहीं ले लिया जाता।

(3) रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन प्राप्त होने पर, यदि पंद्रह दिनों के भीतर केंद्रीय बोर्ड द्वारा आपत्ति नहीं की जाती है तो रजिस्ट्रीकरण हुआ गया माना जाएगा।

(4) केंद्रीय बोर्ड इन नियमों के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल विकसित करेगा और बनाए रखेगा।

(5) केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 181 के उप-नियम (1) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल के अनुरूप होगा।

(6) केन्द्रीय बोर्ड उत्पादक का आवधिक निरीक्षण और लेखा-परीक्षा किसी प्राधिकृत अभिकरण से कराएगा जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसी केंद्र इन नियमों के उपबंधों के अधीन आवश्यकताओं का अनुपालन कर रही है।

(7) केन्द्रीय बोर्ड रजिस्ट्रीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्र का आवधिक निरीक्षण और लेखा-परीक्षा किसी प्राधिकृत एजेंसी से कराएगा, जिसमें माल और सेवा कर नेटवर्क पोर्टल से सूचना भी शामिल होगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसी केंद्र इन नियमों के उपबंधों के अधीन आवश्यकताओं का अनुपालन कर रही है।

(8) केंद्रीय बोर्ड, या राज्य बोर्ड यदि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्देशित किया जाता है, तो अधिनियम के उपबंधों के अधीन किसी निर्माता या रजिस्ट्रीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा या किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ इन नियमों के अधीन दायित्वों के उल्लंघन या गैर-पूर्ति के लिए आवश्यक कार्रवाई कर सकता है।

(9) केंद्रीय बोर्ड पर्यावरण की दृष्टि से उचित रूप से उपयोग अवधि समाप्त हो चुके वाहनों की देखरेख, प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण या नवीनीकरण के लिए और इन नियमों के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश जारी करेगा।

(10) केंद्रीय बोर्ड हर वर्ष राज्य बोर्डों से प्राप्त आंकड़ों को उनकी प्राप्ति से साठ दिनों की अवधि के भीतर केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर संकलित और प्रदर्शित करेगा।

(11) केन्द्रीय बोर्ड उन उत्पादकों की सूची को, जो अपने विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व लक्ष्यों और दायित्वों को पूरा करने में असफल रहे हैं, प्रत्येक वर्ष 31 अगस्त तक केन्द्रीयकृत ऑनलाइन पोर्टल पर प्रदर्शित करेगा।

(12) केन्द्रीय बोर्ड प्रत्येक वर्ष 31 अगस्त तक केन्द्रीयकृत ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से उत्पादकों के विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व लक्ष्य और वार्षिक रिटर्न को केन्द्रीय सरकार के पास भेजेगा।

(13) केन्द्रीय बोर्ड एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उत्पादकों के विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व लक्ष्य और उनकी पूर्ति, जीवन-समाप्त वाहनों को नष्ट करना, तथा विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाण-पत्रों का सृजन और विनिमय, आदि की जानकारी होगी तथा उसे प्रत्येक वर्ष 31 अगस्त तक केन्द्रीयकृत ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगा।

(14) केन्द्रीय बोर्ड विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाण-पत्रों के लिए उच्चतम और निम्नतम मूल्य निर्धारित करेगा जो एक सौ प्रतिशत के बराबर होगा और तीस प्रतिशत, क्रमशः विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व दायित्वों की पूर्ति न करने के लिए बाध्य संस्थाओं पर लगाए जाने वाले पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का, जिसके बीच उत्पादक केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा से विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र खरीद सकते हैं।

(15) केंद्रीय बोर्ड विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्रों के व्यापार के उद्देश्य से एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म की स्थापना के लिए अभिकरणों को प्राधिकृत करने से संबंधित दिशानिर्देश जारी करेगा। विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्रों के कारोबार के परिमाण को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म की संख्या को सीमित किया जा सकता है।

(16) उप-नियम (15) के अंतर्गत इस तरह स्थापित इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म (प्लेटफॉर्मों) का संचालन, जो कि कर्तव्य बद्ध संस्थाओं के बीच विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्रों के आदान-प्रदान के लिए है, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से केन्द्रीय बोर्ड द्वारा जारी किये गए दिशा-निर्देशों के अनुसार होगा।

(17) केन्द्रीय बोर्ड, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से उत्पादकों, रजिस्ट्रीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधाओं के लिए रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदनों के पर कार्रवाई के साथ-साथ रिटर्न के लिए भी शुल्क निर्धारित कर सकता है।

**13. राज्य सरकार द्वारा उपाय**- (1) राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएंगे कि केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 और मोटर वाहन (वाहन स्क्रैपिंग सुविधा का रजिस्ट्रीकरण और कार्य) नियम, 2021 के दिशानिर्देशों के अनुसार संबंधित राज्य और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में पर्याप्त संख्या में रजिस्ट्रीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधाएं और स्वचालित परीक्षण स्टेशन स्थापित किए जाएं।

(2) राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन जागरूकता अभियान आयोजित करेंगे और ग्राहकों को रजिस्ट्रीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा या अभिहीत संग्रह केंद्र में उपयोग अवधि समाप्त जीवन-समाप्त वाहनों को सही रीति से एकत्रित करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे।

**14. राज्य बोर्ड का उत्तरदायित्व**- (1) राज्य बोर्ड इन नियमों के अधीन ऐसे रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करने से पंद्रह दिनों के भीतर केंद्रीयकृत ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा और थोक उपभोक्ता को इलेक्ट्रॉनिक रूप से रजिस्ट्रीकृत करेगा।

(2) रजिस्ट्रीकरण तब तक वैध रहेगा जब तक कि इसे राज्य बोर्ड द्वारा रद्द या वापस नहीं लिया जाता है।

(3) रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन प्राप्त होने पर, यदि राज्य बोर्ड द्वारा पंद्रह दिनों के भीतर आपत्ति नहीं की जाती है, तो रजिस्ट्रीकरण पूर्ण हुआ माना जाएगा।

(4) यदि रजिस्ट्रीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा या थोक उपभोक्ता द्वारा दी गई जानकारी झूठी पाई जाती है, तो राज्य बोर्ड सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद पांच वर्ष की अवधि तक रजिस्ट्रीकरण को निलंबित या रद्द कर देगा और इसके अलावा अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई करेगा।

(5) राज्य बोर्ड रजिस्ट्रीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा द्वारा केंद्रीय बोर्ड को प्रस्तुत तिमाही रिपोर्ट और थोक उपभोक्ता के मामले में वार्षिक रिपोर्ट का संकलन और अग्रेषित करेगा और रिटर्न फाइल करने की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर इसे केंद्रीय ऑनलाइन पोर्टल पर प्रकाशित करेगा।

(6) राज्य बोर्ड इन नियमों के अधीन दायित्वों की पूर्ति में शामिल सुसंगत हितधारकों के बीच नियमित संवाद सुनिश्चित करेगा।

(7) राज्य बोर्ड इन नियमों के कार्यान्वयन के संबंध में प्रत्येक वर्ष 30 अगस्त तक केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(8) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इन नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए रजिस्ट्रीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा का आवधिक निरीक्षण और लेखा परीक्षा करेगा या किसी प्राधिकृत अभिकरण द्वारा निरीक्षण कराएगा और अधिनियम के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा या थोक उपभोक्ता या किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ इन नियमों के अधीन दायित्वों के उल्लंघन या गैर-पूर्ति के लिए आवश्यक कार्रवाई कर सकता है।

**15. पर्यावरण क्षतिपूर्ति** - (1) जहां कोई भी, निर्माता, रजिस्ट्रीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा और थोक उपभोक्ता इन नियमों के अधीन पर्यावरण की दृष्टि से मजबूत रीति से जीवन के अंत में वाहनों के संचालन और स्क्रैप करने से संबंधित

उपबंधों का अनुपालन करने में विफल रहता है, जिससे पर्यावरण या सार्वजनिक स्वास्थ्य को नुकसान, नुकसान या क्षति हो सकती है, तो वह पर्यावरण क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा जो केंद्रीय बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार ऐसी हानि, क्षति या क्षति के बराबर हो सकता है।

(2) इस नियम के अधीन निर्माता, रजिस्ट्रीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा या थोक उपभोक्ता को दिए बिना कोई पर्यावरणीय मुआवजा नहीं लगाया जाएगा।

(3) उप-अभिले (1) के अधीन पर्यावरणीय मुआवजा केंद्रीय बोर्ड द्वारा और रजिस्ट्रीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा और थोक उपभोक्ता के दायित्वों के संबंध में राज्य बोर्ड द्वारा लगाया जा सकता है।

(4) जहां निर्माता या रजिस्ट्रीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा या थोक उपभोक्ता बाद में बाध्यताओं के साथ मिलकर काम करते हैं, उनके द्वारा भुगतान की गई पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की राशि, यदि दायित्व का पालन किया जाता है, उसे वापस की जा सकती है-

(क) एक वर्ष के भीतर, पर्यावरण क्षतिपूर्ति का 75%;

(ख) दो वर्षों के भीतर, पर्यावरण क्षतिपूर्ति का 60%; और;

(ग) तीन वर्षों के भीतर, पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का 40%।

(5) इस नियम के अधीन भुगतान किए गए पर्यावरणीय मुआवजे को, यथास्थिति, केंद्रीय बोर्ड या राज्य बोर्ड द्वारा रखे गए एक अलग खाते में रखा जाएगा।

(6) इस नियम के अधीन भुगतान की गई पर्यावरणीय प्रतिकर की राशि का उपयोग पर्यावरण या सार्वजनिक स्वास्थ्य को नुकसान, क्षति या क्षति की बहाली के लिए पर्यावरण के अनुकूल प्रबंधन के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें जीवन के अंत में वाहनों के संग्रह, हैंडलिंग, स्क्रैपिंग और रीसाइक्लिंग शामिल है।

IndiaCode

**16. केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल.–** (1)केन्द्रीय बोर्ड, इन नियमों के प्रकाशन के छह माह के भीतर उत्पादकों और थोक ग्राहकों द्वारा रजिस्ट्रीकरण और उनके द्वारा विवरणियां फाइल करने और रजिस्ट्रीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा के रजिस्ट्रीकरण और जीवन-समाप्त वाहनों के साथ-साथ सभी संस्थाओं के सभी दायित्वों के संबंध में विवरणियां भरने के लिए एक केन्द्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल चालू करेगा।

(2) केंद्रीय बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि जीवन-समाप्त वाहनों की प्राप्त होने और रजिस्ट्रीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा द्वारा उत्पन्न विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट पदार्थों का डाटा हर समय केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर परिलक्षित हो।

(3) केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल को उत्पादकों और रजिस्ट्रीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधाओं को उत्पादकों के विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व संबंधी दायित्वों को पूरा करने के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र का आदान-प्रदान करनेकी सुविधा प्रदान करनी चाहिए।

(4) राज्य बोर्ड रजिस्ट्रीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा और थोक उपभोक्ता के रजिस्ट्रीकरण के लिए तथा रजिस्ट्रीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा और थोक उपभोक्ता द्वारा रिटर्न फाइल करने के लिए केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग करेगा।

(5) केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल इन नियमों के अंतर्गत जारी आदेशों सहित सभी क्रियाकलापों के संबंध में एकल बिंदु डेटा संग्रह होगा।

(6) उत्पादक केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल के विकास को सुगम बना सकेगा।

**17. कार्यान्वयन समिति.-** (1) केन्द्रीय सरकार इन नियमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय बोर्ड के अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक समिति गठित करेगी।

(2) यह समिति इन नियमों के कार्यान्वयन की निगरानी करेगी।

(3) समिति इन नियमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक उपाय करेगी।

(4) समिति केंद्रीयकृत ऑनलाइन पोर्टल के विकास और संचालन का मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण करेगी।

(5) समिति छह माह में कम से कम एक बार बैठक करेगी और अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगी।

(6) समिति में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय, भारतीय मानक ब्यूरो, राज्य बोर्ड, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, उत्पादकों, पुनर्चक्रणकर्ताओं और स्क्रैपिंग सुविधाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले हितधारकों और किसी भी अन्य हितधारक के प्रतिनिधि शामिल होंगे, जिन्हें केंद्र सरकार अभिहीत करेगी।

(7) समिति का अध्यक्ष अपनी बैठकों में किसी भी व्यक्ति या अन्य संगठन को आमंत्रित कर सकेगा जो उसकी राय में समिति के विचार-विमर्श के लिए उपयोगी हो।

IndiaCode

## अनुसूची

[नियम 4(1) (i) देखें]

## विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व के लिए लक्ष्य.

1. किसी नए निर्माता द्वारा बाजार में वाहन को उतारने स्थिति में, वाहन की संबंधित श्रेणियों के लिए नीचे दी गई सारणी में उल्लिखित वाहन के औसत जीवन के आधार पर, विभिन्न श्रेणियों के वाहनों के लिए विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व लक्ष्य पूरे करने होंगे।

2. विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व लक्ष्यों में वाहनों में प्रयुक्त स्टील को नष्ट करना शामिल है, जैसा कि नीचे दी गई सारणी में उल्लिखित है।

3. अनुपयोगी वाहनों की स्क्रैपिंग का अर्थ है बेकार वाहनों से स्टील को स्क्रैप करना।

4. बैटरियों के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व लक्ष्य बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022 के अंतर्गत होंगे।

5. अपशिष्ट टायरों और प्रयुक्त तेल के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व खतरनाक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापार आवागमन) नियम, 2016 के अंतर्गत होगा।

6. उत्पादक के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व लक्ष्य वाहन के प्रकार (परिवहन वाहन और गैर-परिवहन वाहन) के अनुसार विशिष्ट होंगे।

7. उत्पादक को अपने विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व दायित्वों को रजिस्ट्रीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधाओं द्वारा केंद्रीकृत पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराए गए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्रों के माध्यम से पूरा करना होगा। रजिस्ट्रीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधाओं के पास विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्रों की अनुपलब्धता की स्थिति में, उत्पादक को संग्रह का उत्तरदायित्व भी लेना होगा।

### सारणी

**(i) गैर-परिवहन वाहनों के लिए:**

| वित्तीय वर्ष के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व लक्ष्य | विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व लक्ष्य (वजन) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 2025-26 | वर्ष 2005-06 में वाहनों में इस्तेमाल स्टील का न्यूनतम 8% |
| 2026-27 | वर्ष 2006-07 में वाहनों में इस्तेमाल स्टील का न्यूनतम 8% |
| 2027-28 | वर्ष 2007-08 में वाहनों में इस्तेमाल स्टील का न्यूनतम 8% |
| 2028-29 | वर्ष 2008-09 में वाहनों में इस्तेमाल स्टील का न्यूनतम 8% |
| 2029-30 | वर्ष 2009-10 में वाहनों में इस्तेमाल स्टील का न्यूनतम 8% |
| 2030-31 | वर्ष 2010-11 में वाहनों में इस्तेमाल स्टील का न्यूनतम 13% |
| 2031-32 | वर्ष 2011 में वाहनों में इस्तेमाल स्टील का न्यूनतम 13% |
| 2032-33 | वर्ष 2012-13 में वाहनों में इस्तेमाल स्टील का न्यूनतम 13% |
| 2023-34 | वर्ष 2013-14 में वाहनों में इस्तेमाल स्टील का न्यूनतम 13% |
| 2034-35 | वर्ष 2014-15 में वाहनों में इस्तेमाल स्टील का न्यूनतम 13% |
| 2035-36 | वर्ष 2015-16 में वाहनों में इस्तेमाल स्टील का न्यूनतम 18% |
| 2036-37 | वर्ष 2016-17 में वाहनों में इस्तेमाल स्टील का न्यूनतम 18% |
| 2037-38 | वर्ष 2017-18 में वाहनों में इस्तेमाल स्टील का न्यूनतम 18% |
| 2038-39 | वर्ष 2018-19 में वाहनों में इस्तेमाल स्टील का न्यूनतम 18% |
| 2039-40 और उसके बाद | वर्ष 2019-20 में 2039-40 के लिए वाहनों में इस्तेमाल स्टील का न्यूनतम 18% और बाद के वर्षों के लिए, 20 वर्ष पहले वाहनों में इस्तेमाल स्टील का न्यूनतम 18% |

IndiaCode

**टिप्पण :** किसी भी वर्ष के विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व लक्ष्यों का 30%, इसके विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व लक्ष्य अनुपालन के लिए अगले चार वर्षों तक आगे बढ़ाया जा सकता है।

**(ii) परिवहन वाहनों के लिए:**

| **वित्तीय वर्ष के लिए विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व लक्ष्य** | **विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व लक्ष्य (वजन)** |
|---|---|
| 2025-26 | वर्ष 2010-11 में वाहनों में इस्तेमाल किए गए स्टील का न्यूनतम 8% |
| 2026-27 | वर्ष 2011-12 में वाहनों में इस्तेमाल किए गए स्टील का न्यूनतम 8% |
| 2027-28 | वर्ष 2012-13 में वाहनों में इस्तेमाल किए गए स्टील का न्यूनतम 8% |
| 2028-29 | वर्ष 2013-14 में वाहनों में इस्तेमाल किए गए स्टील का न्यूनतम 8% |
| 2029-30 | वर्ष 2014-15 में वाहनों में इस्तेमाल किए गए स्टील का न्यूनतम 8% |
| 2030-31 | वर्ष 2015-16 में वाहनों में इस्तेमाल किए गए स्टील का न्यूनतम 13% |
| 2031-32 | वर्ष 2016-17 में वाहनों में इस्तेमाल किए गए स्टील का न्यूनतम 13% |
| 2032-33 | वर्ष 2017-18 में वाहनों में इस्तेमाल किए गए स्टील का न्यूनतम 13% |
| 2023-34 | वर्ष 2018-19 में वाहनों में इस्तेमाल किए गए स्टील का न्यूनतम 13% |
| 2034-35 | वर्ष 2019-20 में वाहनों में इस्तेमाल किए गए स्टील का न्यूनतम 13% |
| 2035-36 | वर्ष 2020-21 में वाहनों में इस्तेमाल किए गए स्टील का न्यूनतम 18% |
| 2036-37 | वर्ष 2021-22 में वाहनों में इस्तेमाल किए गए स्टील का न्यूनतम 18% |
| 2037-38 | वर्ष 2022-23 में वाहनों में इस्तेमाल किए गए स्टील का न्यूनतम 18% |
| 2038-39 | वर्ष 2023-24 में वाहनों में इस्तेमाल किए गए स्टील का न्यूनतम 18% |
| 2039-40 और उसके बाद | 2024-25 में वाहनों में उपयोग किए गए स्टील का न्यूनतम 18%, 2039-40 के लिए और उसके बाद के वर्षों के लिए, 15 वर्ष पहले वाहनों में उपयोग किए गए स्टील का न्यूनतम 18% |

**टिप्पण :** किसी भी वर्ष के विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व लक्ष्यों का 30%, उसके विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व लक्ष्य अनुपालन के लिए आगामी चार वर्षों में आगे बढ़ाया जा सकता है।

**प्ररूप 1**

[देखें [नियम 4(1)(vii)]

**निर्माता द्वारा भरा जाने वाला वार्षिक रिटर्न**

[पर्यावरण संरक्षण (प्रयोग की अवधि समाप्त होने वाले वाहन) नियम, 2025 के अंतर्गत]

1. विनिर्माता का नाम:

2 विनिर्माता का रजिस्ट्रीकृत पता,
वेबसाइट का पता और संपर्क विवरण:

3 अधिकृत व्यक्तिका नाम और ई-मेल, लैंडलाइन दूरभाष नंबर एवं मोबाइल नंबर सहित पूर्ण पता:

4 जीएसटी नंबर

5 टीआईएन सं.

6. नीचे दी गई सारणी के अनुसार उस वर्ष के बाजार में लाये गये वाहनों का विवरण जिन पर विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व लक्ष्य की गणना की गई है:

| क्र.सं. | वित्तीय वर्ष | प्रकार | ब्रांड का नाम | वाहनों की सं. | कुल वजन | वाहनों में स्टील का वजन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1 | | दो पहिया (गैर-परिवहन) | | | | |
| 2 | | तीन पहिया (गैर-परिवहन) | | | | |
| 3 | | चार पहिया (गैर-परिवहन) | | | | |
| 4 | | दो पहिया (परिवहन) | | | | |
| 5 | | तीन पहिया (परिवहन) | | | | |
| 6 | | चार पहिया (परिवहन) | | | | |

IndiaCode

7. विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व संबंधी बाध्यता (ओं) और एकत्र और पुनर्नवीनीकरण किए गए जीवनकाल समाप्ति-वाहनों का विवरण, जिसके लिए रिटर्न फाइल किया जा रहा है:

(क) विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व संबंधी बाध्यता:

(ख) रजिस्ट्रीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्रों पर प्रसंस्करण किए गए प्रयोग की अवधि समाप्त होने वाले वाहनों/ ऑटोमोबाइल क्षेत्र से संबंधित अन्य इस्पात स्क्रैप सामग्री में से इस्पात का वजन:

8. आरवीएसएफ-वार विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाण पत्र का ब्यौरा

**टिप्पण** : विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व लक्ष्य अनुपालन में उत्पादकों द्वारा स्व-उपयोग के लिए रखे गए वाहन शामिल हैं

तारीख :

स्थान :

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर:

**प्ररूप 2**

[देखें: नियम 5(5)]

**थोक उपभोक्ता द्वारा भरा जाने वाला वार्षिक रिटर्न**

[पर्यावरण संरक्षण (प्रयोग की अवधि समाप्त होने वाले वाहन) नियम, 2025 के अंतर्गत]

1. थोक उपभोक्ता का नाम:

2. थोक उपभोक्ता का रजिस्ट्रीकृत पता, वेबसाइट का पता और संपर्क विवरण:

3. अधिकृत व्यक्ति (ओं) का नाम और ई-मेल, लैंडलाइन टेलीफोन नंबर और मोबाइल नंबर सहित पूरा पता:

4. थोक उपभोक्ता के मामले में रजिस्ट्रीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा में रजिस्ट्रीकृत वाहनों और प्रयोग की अवधि समाप्त होने वाले वाहन का विवरण:

   i. रजिस्ट्रीकृत वाहनों की संख्या (2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर और ट्रांसपोर्ट या नॉन-ट्रांसपोर्ट):
   ii. डीजल के मामले में दस वर्ष और पेट्रोल या सीएनजी या इलेक्ट्रिक वाहनों के मामले में पंद्रह वर्ष की अवधि पूरी करने वाले वाहनों की संख्या:
   iii. फिट वाहनों की संख्या:
   iv. अनफिट या जीवनकाल समाप्ति वाहनों की संख्या:
   v. रजिस्ट्रीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्र पर जमा किए गए प्रयोग की अवधि समाप्त होने वाले वाहन की संख्या

स्थान:

तारीख:

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर:

**प्ररूप 3**

[देखें: नियम 8(3)]

**रजिस्ट्रीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा के द्वारा त्रैमासिक रिटर्न**

[पर्यावरण संरक्षण (प्रयोग की अवधि समाप्त होने वाले वाहन) नियम, 2025 के अंतर्गत]

1. रजिस्ट्रीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्र का नाम:

2. रजिस्ट्रीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्र का रजिस्ट्रीकृत पता, वेबसाइट का पता और संपर्क विवरण:

3. अधिकृत व्यक्ति (ओं) का नाम और ई-मेल, लैंडलाइन टेलीफोन नंबर और मोबाइल नंबर सहित पूरा पता:

4. प्रतिवर्ष वाहनों की संख्या की दृष्टि से रजिस्ट्रीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा की क्षमता:

5. वित्तीय वर्ष जिसका रिटर्न फाइल किया जा रहा है, के दौरान प्राप्त और स्क्रैप किए गए वाहनों की संख्या का ब्यौरा:

IndiaCode

| क्र.सं. | प्रकार | प्राप्त वाहनों की संख्या | खत्म किए गए वाहनों की संख्या | स्क्रैप किए गए वाहनों का कुल वजन | उत्पन्न स्टील स्क्रैप का कुल वजन |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | दो पहिया (गैर-परिवहन) | | | | |
| 2 | दो पहिया (परिवहन) | | | | |
| 3 | तीन पहिया (गैर-परिवहन) | | | | |
| 4 | तीन पहिया (परिवहन) | | | | |
| 5 | चार पहिया (गैर-परिवहन) | | | | |
| 6 | चार पहिया (परिवहन) | | | | |

6. उत्पन्न और आदान-प्रदान किए गए विस्तारित निर्माता जिम्मेदारी प्रमाणपत्रों का विवरण और संख्या:

7. जिस वित्तीय वर्ष के दौरान रिटर्न दाखिल किया जा रहा है, उसके दौरान रजिस्ट्रीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा पर पुनर्नवीनीकरण या नवीनीकृत सहित पंजीकृत रिसाइक्लर या रिफर्बिशर को भेजी गई पुनर्चक्रित और नवीनीकृत सामग्री सहित पुनर्प्राप्त और पुनर्चक्रण योग्य या नवीनीकरण योग्य सामग्री का विवरण।

| क्र.सं. | विवरण | मात्रा | रजिस्ट्रीकृत पुनर्चक्रणकर्ता (ओं)/ रिफर्बिशर्स के नाम |
|---|---|---|---|
| 1 | रजिस्ट्रीकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं/ नवीनीकरणकर्ताओं को भेजे गए 'पुन: कवर की गई अपशिष्ट टायर' | | |
| 2 | रजिस्ट्रीकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं/ नवीनीकरणकर्ताओं को भेजे गए पुन: कवर की गई ई-अपशिष्ट | | |
| 3 | रजिस्ट्रीकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं/ नवीनीकरणकर्ताओं को भेजा गया पुन: कवर की गई बैटरी अपशिष्ट | | |
| 4 | रजिस्ट्रीकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं/ नवीनीकरणकर्ताओं को भेजा गया पुन: कवर की गई प्लास्टिक अपशिष्ट | | |
| 5 | रजिस्ट्रीकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं/ नवीनीकरणकर्ताओं को भेजा गया पुन: कवर की गई यूज्ड ऑयल | | |
| 6 | अन्य पुर्नप्राप्त/ पुनर्चक्रित/ नवीनीकृत सामग्री | | |

वर्ष, जिसकी विवरणी फाइल की जा रही है, के दौरान सामान्य खतरनाक अपशिष्ट शोधन, भंडारण और निपटान केंद्र को भेजे गए खतरनाक और गैर-पुनर्चक्रणीय/गैर-नवीनीकृत करने योग्य सामग्रियों का विवरण:

| विवरण | मात्रा सहित विवरण | रजिस्ट्रीकृत सामान्य खतरनाक अपशिष्ट उपचार, भंडारण और निपटान केंद्र के नाम |
|---|---|---|
| पुन: कवर की गई खतरनाक सामग्री | | |

स्थान:

तारीख:

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर:

IndiaCode

**प्ररूप 4**

[देखें: नियम 10(1)]

**एक निर्माता द्वारा रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन**

[पर्यावरण संरक्षण (प्रयोग की अवधि समाप्त होने वाले वाहन) नियम, 2025 के अंतर्गत]

| | | |
|---|---|---|
| 1 | निर्माता का नाम | |
| 2 | निर्माता का रजिस्ट्रीकृत पता, वेबसाइट का पता और संपर्क विवरण | |
| 3 | प्राधिकृत व्यक्ति का नाम और ई-मेल, लैंडलाइन टेलीफोन नंबर और मोबाइल नंबर सहित पूरा पता | |
| 4 | जी.एस.टी. | |
| 5 | टिन नं. | |
| 6. | निर्मित वाहनों का विवरण | |

IndiaCode

स्थान:

तारीख:

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

**प्ररूप 5**

[देखें: नियम 10(2)]

**रजिस्ट्रीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्र द्वारा**

[पर्यावरण संरक्षण (जीवन के अंत वाहन) नियम, 2025 के अंतर्गत]

| | | |
|---|---|---|
| 1. | रजिस्ट्रीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्र का नाम | |
| 2. | रजिस्ट्रीकृत पता और वेबसाइट का पता | |
| 3. | फोन नं. (लैंडलाइन और मोबाइल) | |
| 4. | ईमेल आईडी | |
| 5. | प्राधिकृत व्यक्ति का नाम | |
| 6. | प्राधिकृत व्यक्ति (ओं) ईमेल आईडी | |
| 7. | अधिकृत व्यक्ति (ओं) का मोबाइल नंबर | |
| 8. | जीएसटी नम्बर | |
| 9. | अनुमति की वैधता | क. वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अधीन,--- तक वैध<br>ख. जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अधीन, -- तक वैध |

| | | |
|---|---|---|
| 10. | खतरनाक अपशिष्ट (प्रबंधन और हैंडलिंग) नियम, 2016 के नियम 6 के अधीन प्राधिकरण की वैधता | ---------- तक मान्य |
| 11. | जिला उद्योग केंद्र के साथ रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणीकरण की वैधता | ---------- तक मान्य |
| 12. | इकाई में पुनर्नवीनीकरण/ नवीनीकृत/ पुन: उपयोग, पुनर्चक्रण और नवीनीकरण के लिए रजिस्ट्रीकृत संस्थाओं को भेजे गए अपशिष्ट की श्रेणियों का विवरण | |
| 13. | प्रति वर्ष वाहनों की संख्या की दृष्टि रजिस्ट्रीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्र की क्षमता | क. स्थापित<br>ख. संचालन (पिछले तीन वर्षों का विवरण) |

स्थान:

तारीख:

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

**प्ररूप 6**

[देखें: नियम 10(2)]

**थोक उपभोक्ता द्वारा**

[पर्यावरण संरक्षण (जीवन के अंत वाहन) नियम, 2025 के अंतर्गत]

IndiaCode

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | संगठन का नाम | | | | |
| 2. | रजिस्ट्रीकृत पता और वेबसाइट का पता | | | | |
| 3. | फोन नं. | | | | |
| 4. | ईमेल आईडी | | | | |
| 5. | प्राधिकृत व्यक्ति/ व्यक्तियों का नाम | | | | |
| 6. | प्राधिकृत व्यक्ति (ओं) ईमेल आईडी | | | | |
| 7. | अधिकृत व्यक्ति (ओं) का मोबाइल नंबर | | | | |
| 8. | सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 के तहत राज्य परिवहन उपक्रम की स्थापना के संबंध में अधिसूचना का विवरण या पंजीकरण और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत इसकी वैधता, यथा लागू, के संबंध में विवरण (प्रति संलग्न करें) | | | | |
| 9. | पंजीकृत या उक्त संगठन के कब्जे में आने वाले वाहनों की संख्या और विवरण | वाहन का प्रकार | दो पहिया | तीन पहिया | चार पहिया |
| | | परिवहन वाहन | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | गैर-परिवहन वाहन | | | |
| | | कुल | | | |
| | | योग कुल | | | |

स्थान:

तारीख:

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

**प्ररूप 7**

[देखे: नियम 10 (3)]

**निर्माता के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के लिए प्रारूप**
**केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड**
**निर्माता के रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र**

[पर्यावरण संरक्षण (प्रयोग की अवधि समाप्त होने वाले वाहन) नियम, 2025 के अंतर्गत]

संदर्भ: रजिस्ट्रीकरण के लिए आपका आवेदन संख्या तारीख :

रजिस्ट्रीकरण संख्या .....

मैसर्स,---------- को पर्यावरण संरक्षण (प्रयोग की अवधि समाप्त होने वाले वाहन) नियम, 2025 के उपबंधों के अनुसार प्रयोग की अवधि समाप्त होने वाले वाहन के संबंध में जीवनकाल समाप्ति वाहनों के निर्माता के रूप में एक बार के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया जाता है। पर्यावरण संरक्षण (प्रयोग की अवधि समाप्त होने वाले वाहन) नियम, 2025 के उपबंधों को किसी भी उल्लंघन पर पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के दंडात्मक उपबंध लागू होंगे।

(सदस्य सचिव)
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

स्थान:

तारीख:

IndiaCode

**प्ररूप 8**

[देखे: नियम 10 (3)]

**रजिस्ट्रीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्र या**
**थोक उपभोक्ता के रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रारूप**
**राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड**

[पर्यावरण संरक्षण (प्रयोग की अवधि समाप्त होने वाले वाहन) नियम, 2025 के अंतर्गत]

संदर्भ: रजिस्ट्रीकरण के लिए आपका आवेदन संख्या

तारीख :

रजिस्ट्रीकरण संख्या : .....

मैसर्स,..... पर्यावरण संरक्षण (प्रयोग की अवधि समाप्त होने वाले वाहन) नियम, 2025 के उपबंधों के अनुसार प्रयोग की अवधि समाप्त होने वाले वाहन के संबंध में रजिस्ट्रीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्र या थोक उपभोक्ता के लिए एक बार के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया जाता है। पर्यावरण संरक्षण (प्रयोग की अवधि समाप्त होने वाले वाहन) नियम, 2025 के उपबंधों के किसी भी उल्लंघन पर पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के दंडात्मक उपबंध लागू होंगे।

**(सदस्य सचिव)**
राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

स्थान :
तारीख :

[फा. सं. 23/55/2021-एचएसएम]

वेद प्रकाश मिश्रा, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 6th January, 2025

**S.O. 98(E).—**WHEREAS the Draft End-of-Life Vehicles (Management) Rules, 2024 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii), vide S.O. 367 (E) dated 30th January, 2024 inviting objections and suggestions from all persons before the expiry of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said draft provisions were made available to the public;

And, WHEREAS the Gazette containing the draft of rules were made available to the public on the 30th January, 2024;

And, WHEREAS all the objections and suggestions received have been duly considered by the Central Government;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), clause (v) and clause (vii) of sub-section (2) of section 3, sub-section (1), clause (c) and clause (d) of sub-section (2) of section 6, section 8, clause (b) of sub-section (2) of section 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with clauses (ii) and (x) of sub-rule (1) and clause (d) of sub-rule (3) of rule 5 the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

**1. Short title and commencement. –** (1) These rules may be called the Environment Protection (End-of-Life Vehicles) Rules, 2025**.**

(2) They shall come into force from 1st day of April, 2025.

**2. Application. –** (1) These rules shall apply to, –

(a) the producer, registered owner of vehicles, bulk consumers, Registered Vehicle Scrapping Facility, collection centres, automated testing stations and entities involved in testing of vehicles, handling, processing and scrapping of End-of-Life vehicles, but shall not apply to:

(i) waste batteries covered under the Battery Waste Management Rules, 2022;

(ii) plastic packaging as covered under the Plastic Waste Management Rules, 2016;

(iii) waste tyres and used oil as covered under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016;

(iv) E-waste as covered under E-Waste (Management) Rules, 2022.

(b) all types of vehicles defined in clause (28) of section 2 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), and includes an electric vehicle, battery operated vehicle, e-rikshaw or e-cart, but shall not apply to:

(i) agricultural tractor;

(ii) agricultural trailer;

(iii) combine harvester; and

(iv) power tiller.

**3. Definitions**. – (1) In these rules, unless the context otherwise requires, –

(a) "Act**"** means the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986);

(b) **"**automated testing station**"** shall have the meanings assigned to them in sub-section 2 of section 56 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988);

(c) **"**bulk consumer**"** means consumer having ownership of more than one hundred vehicles, and includes a State transport undertakings as defined in the clause (42) of section 2 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988);

(d) **"**Central Board**"** means the Central Pollution Control Board constituted under sub-section (1) of section 3 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974);

(e) "centralised online portal" means an online portal developed and maintained under sub-rule (1) of rule 16;

(f) **"**Collection Centre**"** shall have the meanings assigned to them in clause (e) of sub-rule (1) of rule 3 of the Motor Vehicles (Registration and Functions of Vehicle Scrapping Facility) Rules, 2021;

(g) **"**disposal**"** means any activity which does not lead to reuse, recovery, recycling or refurbishing and include physico-chemical or biological treatment or deposition in secured landfill;

(h) **"**environmentally sound management manner**"** means the handling and disposal of End-of-Life vehicle in such a manner that protects human health and environment against any adverse effects, which may result from any substance contained in the End-of-Life vehicle;

(i) "End-of-Life vehicle" shall have the meanings assigned to them in clause (f) of sub-rule (1) of rule 3 of the Motor Vehicles (Registration and Functions of Vehicles Scrapping Facility) Rules, 2021;

(j) "Extended Producer Responsibility" means responsibility of a producer for scrapping of the End-of-Life vehicle in environmentally sound manner;

(k) "Extended Producer Responsibility certificate" means a certificate issued under rule 9 by the Central Board;

(l) "facility" means any place used for the collection, storage, segregation, recycling or refurbishing, or disposal of End-of-Life vehicles;

(m) "Form" means a Form appended to these rules;

(n) "hazardous waste" shall have the meanings assigned to them in clause (17) of sub-rule (1) of rule 3 of the Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016.

(o) **"**manufacturer**"** means a person who is engaged in the manufacture of motor vehicles;

(p) **"**non-transport vehicle**"** shall have the meanings assigned to them in clause (h) of rule 2 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989;

(q) **"**producer**"** means an entity who is engaged in:

(i) manufacture or assembly and sale of vehicles under its own brand; or

(ii) sale of vehicles under its own brand produced by other manufacturers or suppliers; or

(iii) import of vehicles.

(r) "registered owner" means a person in whose name a vehicle stands registered, and where such person is a minor, the guardian of such minor;

(s) "recycler" means an entity engaged in recycling of any materials of End-of-Life vehicles;

(t) "recycling" means any process by which waste materials are converted into products and raw materials;

(u) "refurbisher" means entity engaged in refurbishing of materials of End-of-Life vehicles;

(v) "Registered Vehicle Scrapping Facility" shall have the meanings assigned to them in clause (k) of sub-rule (1) of rule 3 of the Motor Vehicles (Registration and Functions of Vehicle Scrapping Facility) Rules, 2021;

(w) "Schedule" means Schedule appended to these rules;

IndiaCode

(x) "State Board" means the State Pollution Control Board constituted under section 4 of Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) and includes in relation to Union territory, the Pollution Control Committee;

(y) "storage" means storage of End-of-Life vehicles, including its components or parts;

(z) "transport vehicle" shall have the meanings assigned to them in clause (47) of section 2 of the Motor Vehicles Act, 1988;

(za) "treatment" means any activity after the End-of-Life vehicle has been handed over for depollution, dismantling, shearing, shredding, recovery or preparation for disposal of the shredder wastes, and any other operation carried out for the recovery or recycling or disposal of the End-of-Life vehicle and its components;

(zb) "vehicle" shall have the meanings assigned to them in clause (28) of section 2 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), and includes an electric vehicle, battery operated vehicle, e-rikshaw or e-cart.

(2) Words and expressions used but not defined in these rules shall have the same meanings as defined in the Environment (Protection) Act, 1986, the Motor Vehicles Act, 1988 and the Central Motor Vehicles Rules, 1989.

**4. Responsibilities of producer –** (1) Every producer must,-

(i) fulfil the obligation of Extended Producer Responsibility for the vehicles that the producer has introduced or introduces in the domestic market, including vehicles put to self-use to ensure the scrapping targets as specified in **the Schedule**;

(ii) meet the scrapping targets of End-of-Life vehicles as mentioned in **the Schedule** for vehicles the producer has introduced or introduces in the domestic market;

(iii) take necessary measures to encourage End-of-Life vehicles are deposited at the Registered Vehicle Scrapping Facility or designated Collection Centres;

(iv) fulfil the Extended Producer Responsibility either through purchase of Extended Producer Responsibility certificate generated by its own Registered Vehicle Scrapping Facility or by any entity having Registered Vehicle Scrapping Facility;

(v) deploy any schemes such as buy back scheme, deposit refund scheme or any other, and designate any other entity to fulfil the obligation of Extended Producer Responsibility;

(vi) obtain registration as a producer from Central Board through centralised online portal;

(vii) furnish annual returns in **Form 1** on centralised online portal to Central Board by 30th June for the previous financial year-

(a) in respect of the information regarding the number and type of the vehicles (transport or non-transport) and the weight of steel used in vehicles placed in the market, including vehicles put to self-use in previous financial year;

(b) in respect of fulfilment of Extended Producer Responsibility obligations during the previous financial year;

(viii) declare its Extended Producer Responsibility obligations for the current year by 30th April of the same year to the Central Board;

(ix) inform the Central Board of any changes to the information contained in the Extended Producer Responsibility registration or obligation and of any permanent cessation as regards to the making available on the market of the vehicles referred to in the Extended Producer Responsibility obligation;

(x) bring to the notice of the Central Board or State Board of any violations or non-compliance or violation of the provisions of these rules by any entity involved in handling and management of End-of-Life vehicles;

(xi) take measures to comply with the provisions of AIS-129, as published by the Central Government under Central Motor Vehicles Rules, 1989.

(2) A producer shall not engage in any manner with any entity not registered under these rules for scrapping of the End-of-Life vehicles or for fulfilling its Extended Producer Responsibility under these rules.

(3) A producer may engage any registered entity to fulfil its Extended Producer Responsibility under these rules.

(4) Every producer shall take measures for sustainable production of vehicles including in accordance with the guidelines issued by the Central Board.

(5) Every producer must make necessary arrangements to receive the End-of-Life vehicle from the registered owner at any designated Collection Centre, including its sales outlet and shall upload such list of designated Collection Centre, sales outlet on its website and at a conspicuous place of its sales outlets and service centres. List of such designated collection centres shall be furnished to Central Board on centralised online portal.

(6) In case the producer stops its operations, the producer must comply with its Extended Producer Responsibility in respect of vehicles already made available in the market till closure of operations, in accordance with these rules.

(7) Every producer shall organise awareness campaigns and encourage customers by offering incentives to safe deposit of End-of-Life vehicles at the Registered Vehicle Scrapping Facility or the designated Collection Centre.

**5. Responsibilities of registered owner and bulk consumer** – (1) Every registered owner and bulk consumer must ensure that the vehicle is tested in accordance with the section 56 of the Motor Vehicles Act, 1988 and rule 52 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989.

(2) When a vehicle becomes an End-of-Life vehicle as per the Motor Vehicles (Registration and Functions of Vehicles Scrapping Facility) Rules, 2021, the registered owner or bulk consumer must deposit the End-of-Life vehicle at any of the producer's designated sales outlet or designated Collection Centre or Registered Vehicle Scrapping Facility within a period of one hundred and eighty days from the date the vehicle becomes the End-of-Life vehicle.

(3) No person shall keep in possession any End-of-Life vehicle beyond the period specified in sub-rule (2).

(4) A bulk consumer must obtain registration on the centralised online portal from the State Board.

(5) A bulk consumer must file an annual return in **Form 2** on or before 30th June for the previous financial year on the centralised online portal about the details of vehicles it owns or possesses and the End-of-Life vehicles deposited at producer's designated sales outlet or designated Collection Centre or Registered Vehicle Scrapping Facility for scrapping of such End-of-Life vehicle.

**6. Responsibilities of Collection Centre-** (1) Every Collection Centre must collect and store End-of-Life vehicles and send them to Registered Vehicle Scrapping Facility.

(2) Every Collection Centre shall handle the End-of-Life Vehicles in an environmentally sound manner and send them to Registered Vehicle Scrapping Facility.

(3) The Collection Centre shall maintain the records of the End-of-Life vehicle received by it and sent to the Registered Vehicle Scrapping Facility and the manner in which such vehicle is handled.

**7. Responsibilities of automated testing station**. – (1) An automated testing station shall upload the details of all vehicles declared unfit under rule 182 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989, on the centralised online portal either directly or through linking of the electronic portal set up by the Central Government under sub-rule (1) of rule 181 of the said rules.

**8. Responsibilities of Registered Vehicle Scrapping Facility**.– (1) A Registered Vehicle Scrapping Facility shall undertake the following activities relating to scrapping of End-of-Life vehicles in an environmentally sound manner, namely:-

(i) treatment (de-pollution, collection of liquids, gases, catalyst, mercury containing parts, batteries and hazardous waste);

(ii) dismantling (segregation and separation of various types of wastes);

(iii) safe storage of various categories of wastes in separate bins;

(iv) recycling and refurbishment of materials (plastic, metals, tyres, catalytic converters, magnets, batteries and e-waste) on its own or through authorized recyclers or refurbishers.

(2) A Registered Vehicle Scrapping Facility shall-

(a) receive unfit vehicles or End-of-Life vehicles for scrapping and must carry out treatment, depolluting, dismantling, segregation and scrapping activities in accordance with the provisions of the relevant laws.

(b) send all the recovered and segregated materials from End-of-Life vehicles to the registered recyclers or refurbishers, co-processors for recycling and reuse of components or materials, in case of not having recycling or refurbishing facility;

(c) send all non-recyclable or non-refurbishable materials and non-utilizable hazardous materials to Common Hazardous Waste Treatment, Storage and Disposal Facility authorised under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016;

(d) exchange the Extended Producer Responsibility certificates upon processing of every End-of-Life vehicle based on the quantity of steel from the End-of-Life vehicles on the centralized online portal for issuance of Extended Producer Responsibility certificates by Central Board for purchase by the producers;

(e) maintain records of receipt of End-of-Life vehicle, weight of various types of waste materials generated and handed over to authorized recyclers or refurbishers or treatment facilities and disposal facilities;

(f) make an application in **Form 5** to concerned State Board and obtain registration for operation or Registered Vehicle Scrapping Facility.

(3) A Registered Vehicle Scrapping Facility shall file quarterly returns on the centralised online portal to State Board in **Form 3** on weight of End-of-Life vehicles received and weight of materials (category-wise) recycled or refurbished or sent for recycling or refurbishing, processing, and Common Hazardous Waste Treatment, Storage and Disposal Facilities by 30th day of the next month of the previous quarter, and keep a record.

**9. Extended Producer Responsibility certificate. –** (1) The Central Board shall issue the Extended Producer Responsibility certificate through the centralised online portal in favour of the Registered Vehicle Scrapping Facility. Central Board will develop mechanism for such exchange on the centralised online portal.

(2) An Extended Producer Responsibility certificate shall be generated on basis of the weight of steel recovered from the End-of-Life vehicles processed at the Registered Vehicle Scrapping Facility or other steel scrap materials related to automobile sector processed at Registered Vehicle Scrapping Facility in accordance with the Motor Vehicles (Registration and Functions of Vehicle Scrapping Facility) Rules, 2021.

(3) An Extended Producer Responsibility certificate generated by the Registered Vehicle Scrapping Facility can be purchased by a producer through the centralised online portal to meet the Extended Producer Responsibility obligations under these rules.

(4) The following formula shall be used to estimate the Extended Producer Responsibility certificate for the Registered Vehicle Scrapping Facility, namely:-

Extended Producer Responsibility certificate (in kg) = weight of the steel scrap generated (in kg) at Registered Vehicle Scrapping Facility:

Provided that the Extended Producer Responsibility certificate shall be generated subject to the accounting of recycling and refurbishing of all other End-of-Life vehicle materials and environmentally sound disposal of non-recoverable or non-recyclable or non-refurbishable hazardous materials out of the total weight of the End-of-Life vehicle.

(5) A Producer can purchase Extended Producer Responsibility certificate limited to its Extended Producer Responsibility obligation of current year plus any leftover obligation of preceding years.

(6) An Extended Producer Responsibility certificates purchased by the Producer shall be automatically adjusted against their obligations under these rules.

(7) Priority in adjustment shall be given to the earlier obligation or obligation of the preceding years.

(8) An Extended Producer Responsibility certificate used by the producer to meet its Extended Producer Responsibility obligations shall not be exchanged again.

(9) An Extended Producer Responsibility certificate purchased by the producer is not transferrable to any other producer.

(10) All such transactions relating to purchase and adjustment of Extended Producer Responsibility certificate shall be recorded and submitted by the Registered Vehicle Scrapping Facilities on the centralised online portal and shall be included in its quarterly returns.

(11) An Extended Producer Responsibility certificate generated by the Registered Vehicle Scrapping Facilities shall be valid for a period of five years for meeting the obligations of producer under these rules.

**10. Registration and suspension or cancellation.-** (1) A producer shall make an application in **Form 4** for registration to the Central Board.

(2) A Registered Vehicle Scrapping Facility and bulk consumer shall make an application in **Form 5 and Form 6,** respectively, for registration, to the State Board.

(3) On receipt of the application, the Central Board or the State Board shall register the producer or the Registered Vehicle Scrapping Facility or the bulk consumer and issue a certificate of registration in **Form 7 and Form 8** within fifteen days, respectively.

(4) The registration certificate granted under sub-rule (3) shall be valid until it is suspended or cancelled under these rules.

(5) The Central Board may, after giving the producer an opportunity of being heard, suspend or cancel the registration of a producer, in case of violation or non-compliance of any provisions of these rules by the producer.

(6) The producer aggrieved by the suspension or cancellation of the registration under sub-rule (5) may prefer an appeal stating therein the grounds of such appeal and accompanied with a copy of the order appealed against to the Central Government within forty-five days of such suspension or cancellation.

(7) The Central Government may authorise an officer of the Central Government not below the rank of a Joint Secretary to the Government of India to hear and dispose of the appeal filed under sub-rule (6) within a period of forty-five days from the date of its receipt.

(8) The State Board may, after giving the Registered Vehicle Scrapping Facility or bulk consumer an opportunity of being heard, suspend or cancel the registration of a Registered Vehicle Scrapping Facility or bulk consumer, in case of violation or non-compliance of any provisions of these rules by the Registered Vehicle Scrapping Facility or bulk consumer.

(9) The Registered Vehicle Scrapping Facility or bulk consumer aggrieved by the suspension or cancellation of the registration under sub-rule (8) may prefer an appeal stating therein the grounds of such appeal and accompanied with a copy of the order appealed against to the State Government within forty-five days of such suspension or cancellation.

(10) The State Government may authorise an officer of the State Government not below the rank of Secretary to that Government to hear and dispose of the appeal filed under sub-rule (9) within a period of forty-five days from the date of receipt.

**11. Powers of Central Government to relax. –** The Central Government, may by order, and for reason to be recorded in writing, relax any specified period within which a return is to be filed by the producer or Registered Vehicle Scrapping Facility or bulk consumer under these rules.

IndiaCode

**12. Responsibilities of Central Board. –** (1) Central Board shall register the producer through the centralized online portal within fifteen days from the submission of the application for such registration under these rules.

(2) The registration shall be valid until it is cancelled or withdrawn by the Central Board.

(3) On receipt of the application for registration, it shall be deemed to have been done if not objected to by the Central Board within fifteen days.

(4) The Central Board shall develop and maintain the centralised online portal for the purposes of these rules.

(5) The centralised online portal shall be linked with the electronic portal set up by the Central Government under sub-rule (1) of rule 181 of the Motor Vehicles Rules, 1989.

(6) The Central Board shall undertake or cause to be undertaken by an authorised agency the periodic inspection and audit of the producer to ensure that such facility is complying with the requirement under the provisions of these rules.

(7) The Central Board may undertake or cause to be undertaken by an authorised agency the periodic inspection and audit of the Registered Vehicle Scrapping facility, including information from Goods and Services Tax Network portal, to ensure that such facility is complying with the requirement under the provisions of these rules.

(8) The Central Board, or the State Board if directed by the Central Board, may take necessary actions against violations or for non-fulfilment of obligations under these rules against a producer or Registered Vehicle Scrapping Facility or any other person under the provisions of the Act.

(9) The Central Board shall issue guidelines for handling, processing and recycling or refurbishing of materials of End-of-Life vehicles in environmentally sound manner and for implementation of these rules.

(10) The Central Board shall compile and publish the data received every year from the State Boards on the centralised online portal within a period of sixty days from the receipt of such data.

(11) The Central Board shall publish the list of producers who have failed to meet their Extended Producer Responsibility targets and obligations on an annual basis on the centralised online portal by 31st August every year.

(12) The Central Board shall forward the Extended Producer Responsibility targets and annual returns of producers to the Central Government through the centralised online portal by 31st August every year.

(13) The Central Board shall prepare an annual report containing information which, *inter alia*, includes the Extended Producer Responsibility targets of producers and their fulfilment, scrapping of End-of-Life vehicles, and generation and exchange of the Extended Producer Responsibility certificates and furnish to the Central Government through the centralised online portal by 31st August every year.

(14) The Central Board shall fix the highest and lowest price for the Extended Producer Responsibility certificates which shall be equal to one hundred percent. and thirty per cent., respectively of the Environmental Compensation leviable on the obligated entities for non-fulfilment of Extended Producer Responsibility obligations, between which producers may purchase Extended Producer Responsibility certificates from Registered Vehicle Scrapping Facility through the centralised online portal.

(15) Central Board shall issue guidelines for authorisation of agencies for establishment of electronic platform for trade of Extended Producer Responsibility certificates. The number of electronic platform may be restricted keeping in view volume of trade of Extended Producer Responsibility certificates.

(16) The operation of electronic platform (s), so established under sub-rule (15) for exchange of Extended Producer Responsibility certificates between obligated entities, shall be as per guidelines issued by Central Board with the approval of Central Government.

(17) Central Board may determine the fee for processing of applications for registration as well as returns for producers, Registered Vehicle Scrapping facilities with the approval of the Central Government.

**13. Measures by State Government. –** (1) The State Government and the Union territory Administration shall take steps to ensure that adequate number of Registered Vehicle Scrapping Facilities and automated testing

stations are established in the respective State and Union territory in accordance with the Central Motor Vehicle Rules, 1989 and the Motor Vehicles (Registration and Functions of Vehicle Scrapping Facility) Rules, 2021.

(2) State Government and Union territory Administration will organise awareness campaigns and encourage and incentivise customers to engage in safe deposition of End-of-Life vehicles at the Registered Vehicle Scrapping Facility or the designated Collection Centre.

**14. Responsibilities of State Board. –** (1) The State Board shall register the Registered Vehicle Scrapping Facility and bulk consumer electronically on the centralized online portal within fifteen days from the submission of the application for such registration under these rules.

(2) The registration shall be valid until it is cancelled or withdrawn by the State Board.

(3) On receipt of the application for registration, it shall be deemed to be have done if not objected by the State Board within fifteen days.

(4) In case the information provided by Registered Vehicle Scrapping Facility or bulk consumer is found to be false, the State Board shall suspend or cancel the registration up to a period of five years, after giving reasonable opportunity of being heard and in addition take actions in accordance with the provisions of the Act.

(5) The State Board shall compile and forward the quarterly reports submitted by Registered Vehicle Scrapping Facility and annual reports in case of bulk consumer to Central Board and publish it on the centralised online portal within a period of thirty days from the date of filing of return.

(6) The State Board shall ensure a regular dialogue between relevant stakeholders involved in the fulfilment of obligations under these rules.

(7) The State Board shall submit an annual report to Central Board by 30th August every year, regarding implementation of these rules.

(8) The State Board shall undertake periodic inspection and audit, or cause to be inspected by an authorised agency, of the Registered Vehicle Scrapping Facility to ensure the compliance of these rules and may take necessary actions against violations or for non-fulfilment of obligations under these rules against a Registered Vehicle Scrapping Facility or bulk consumer or any other person under the provisions of the Act.

**15. Environmental Compensation. –** (1) Where any producer, Registered Vehicle Scrapping Facility and bulk consumer fails to comply with the provisions relating to handling and scrapping of End-of-Life vehicles in environmentally sound manner under these rules, thereby causing loss, damage or injury to environment or public health, he shall be liable to pay environmental compensation which may be equal to such loss, damage or injury in accordance with the guidelines issued by the Central Board.

(2) No environmental compensation shall be imposed under this rule without giving the producer, Registered Vehicle Scrapping Facility or bulk consumer, an opportunity of being heard in this matter.

(3) Environmental compensation under sub-rule (1) shall be imposed by the Central Board in respect of obligations of producer, and by the State Board in respect of obligations of Registered Vehicle Scrapping Facility and bulk consumer.

(4) Where producer or Registered Vehicle Scrapping Facility or bulk consumer subsequently complies with the obligations, the amount of environmental compensation paid by him may be returned to him, if the obligation is complied-

(a) within one year, 75% of the environmental compensation;

(b) within two years, 60% of the environmental compensation; and

(c) within three years, 40% of the environmental compensation.

(5) The environmental compensation paid under this rule shall be kept in a separate account maintained by the Central Board or State Board, as the case may be.

(6) The amount of environmental compensation paid under this rule shall be utilised for restoration of loss, damage or injury caused to environment or public health through environmentally sound management including collection, handling, scrapping and recycling of the End-of-Life vehicles and remediation or removal of contamination occurred due to unscientific management of End-of-Life vehicles.

**16. Centralised Online Portal. –** (1) The Central Board shall establish a centralised online portal within six months of publication of these rules for the registration and filing returns by producers and bulk consumer, and for registration of Registered Vehicle Scrapping Facility and filing returns in respect of End- of-Life Vehicles and for fulfilment of obligations under these rules.

(2) The Central Board shall ensure that the data on the receipt of the End-of-Life vehicles and the various types of waste materials generated by Registered Vehicle Scrapping Facility is reflected all the times on the centralised online portal.

(3) The centralised online portal must facilitate producers and Registered Vehicle Scrapping Facilities to exchange Extended Producer Responsibility certificates for fulfilment of Extended Producer Responsibility obligations of producers.

(4) The State Board shall use the centralized online portal for registration of Registered Vehicle Scrapping Facility and bulk consumer, and for filing of returns by Registered Vehicle Scrapping Facility and bulk consumer.

(5) The centralised online portal shall be single point data repository with respect to all the activities, including orders issued, under these rules.

(6) The producer may facilitate the development of the centralised online portal.

**17. Implementation Committee. –** (1) The Central Government may constitute a committee under chairpersonship of Chairman of the Central Board for effective implementation of these rules.

(2) The committee shall monitor the implementation of these rules.

(3) The committee shall take such measures as may be necessary for effective implementation of these rules.

(4) The committee shall guide and supervise the development and operation of the centralised online portal.

(5) The committee shall meet at least once in six months and submit its report to the Central Government.

(6) The committee shall consist of the representatives from Ministry of Road Transport and Highways, Ministry of Steel, Bureau of Indian Standards, State Boards, National Environmental Engineering Research Institute, stakeholders representing producers, recyclers and scrapping facilities and any other stakeholder, as the Central Government may nominate.

(7) The chairperson of the committee may invite to its meetings any person or other organisations as in his or her opinion may be useful to the deliberations of the committee.

**SCHEDULE**

[see rule 4 (1)(i)]

**TARGETS FOR EXTENDED PRODUCER RESPONSIBILITY**

**1.** In case of any producer introducing vehicle in the market, the Extended Producer Responsibility targets shall be applicable for different categories of vehicle, based on the average life of the vehicle mentioned in the Tables below for the respective categories of vehicle.

**2.** The Extended Producer Responsibility targets comprise of scrapping of steel used in vehicles as mentioned in the Tables below.

**3.** The scrapping of End-of-Life vehicles means scrapping of steel from End-of-Life vehicles.

**4.** Extended Producer Responsibility targets for batteries will be as under Battery Waste Management Rules, 2022.

**5.** Extended Producer Responsibility for waste tyres and used oil will be as under the Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016.

**6.** Extended Producer Responsibility targets for the producer shall be specific to the type of vehicle (transport vehicle and non-transport vehicle).

**7.** The producers shall meet their Extended Producer Responsibility obligations through the Extended Producer Responsibility certificates made available by Registered Vehicle Scrapping Facilities through centralized portal. In case of non-availability of Extended Producer Responsibility certificates with Registered Vehicle Scrapping Facilities, the producer shall have the responsibility of collection as well.

**TABLE**

**(i) For non-transport vehicles:**

| **Extended Producer Responsibility target for Financial Year** | **Extended Producer Responsibility target (Weight)** |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 2025-26 | Minimum 8% of the steel used in vehicles in 2005-06 |
| 2026-27 | Minimum 8% of the steel used in vehicles in 2006-07 |
| 2027-28 | Minimum 8% of the steel used in vehicles in 2007-08 |
| 2028-29 | Minimum 8% of the steel used in vehicles in 2008-09 |
| 2029-30 | Minimum 8% of the steel used in vehicles in 2009-10 |
| 2030-31 | Minimum 13% of the steel used in vehicles in 2010-11 |
| 2031-32 | Minimum 13% of the steel used in vehicles in 2011- |
| 2032-33 | Minimum 13% of the steel used in vehicles in 2012-13 |
| 2023-34 | Minimum 13% of the steel used in vehicles in 2013-14 |
| 2034-35 | Minimum 13% of the steel used in vehicles in 2014-15 |
| 2035-36 | Minimum 18% of the steel used in vehicles in 2015-16 |
| 2036-37 | Minimum 18% of the steel used in vehicles in 2016-17 |
| 2037-38 | Minimum 18% of the steel used in vehicles in 2017-18 |
| 2038-39 | Minimum 18% of the steel used in vehicles in 2018-19 |
| 2039-40 and onwards | Minimum 18% of the steel used in vehicles in 2019-20 for 2039-40 and for subsequent years, of the steel used in vehicles 20 years ago |

**Note:** 30% of the Extended Producer Responsibility targets, of any year, may be carried forward to the subsequent four years for its Extended Producer Responsibility target compliance.

IndiaCode

**(ii) For transport vehicles:**

| Extended Producer Responsibility target for Financial Year | Extended Producer Responsibility target (Weight) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 2025-26 | Min 8% of the steel used in vehicles in 2010-11 |
| 2026-27 | Min 8% of the steel used in vehicles in 2011-12 |
| 2027-28 | Min 8% of the steel used in vehicles in 2012-13 |
| 2028-29 | Min 8% of the steel used in vehicles in 2013-14 |
| 2029-30 | Min 8% of the steel used in vehicles in 2014-15 |
| 2030-31 | Min 13% of the steel used in vehicles in 2015-16 |
| 2031-32 | Min 13% of the steel used in vehicles in 2016-17 |
| 2032-33 | Min 13% of the steel used in vehicles in 2017-18 |
| 2023-34 | Min 13% of the steel used in vehicles in 2018-19 |
| 2034-35 | Min 13% of the steel used in vehicles in 2019-20 |
| 2035-36 | Min 18% of the steel used in vehicles in 2020-21 |
| 2036-37 | Min 18% of the steel used in vehicles in 2021-22 |
| 2037-38 | Min 18% of the steel used in vehicles in 2022-23 |
| 2038-39 | Min 18% of the steel used in vehicles in 2023-24 |
| 2039-40 and onwards | Min 18% of the steel used in vehicles in 2024-25 for 2039-40 and for subsequent years, of the steel used in vehicles 15 years ago |

Indiacode

**Note:** 30% of the Extended Producer Responsibility targets, of any year, may be carried forward to the subsequent four years for its Extended Producer Responsibility target compliance.

**FORM 1**

[see rule 4(1)(vii)]

**ANNUAL RETURN BY THE PRODUCER**

[under the Environment Protection (End-of-Life Vehicles) Rules, 2025]

1 Name of producer:

2 Registered address of producer, website address and contact details:

3 Name of the authorised person and full address with e-mail, landline telephone number and mobile number

4 GST No.

5 TIN No.

6. Details of vehicles placed in the market of the year on which Extended Producer Responsibility target is calculated as per the Table given below:

| Serial Number | Financial Year | Type | Brand name | No. of vehicles | Total Weight | Weight of steel in the vehicles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1 | | 2 Wheeler (non-transport) | | | | |
| 2 | | 3 Wheeler (non-transport) | | | | |
| 3 | | 4 Wheeler (-non-transport) | | | | |
| 4 | | 2 Wheeler (transport) | | | | |
| 5 | | 3 Wheeler (transport) | | | | |
| 6 | | 4 Wheeler (transport) | | | | |

IndiaCode

7. Details of Extended Producer Responsibility obligation(s) and the End-of-Life vehicles collected and recycled for which the return is being filed:

a. Extended Producer Responsibility obligation:

b. Weight of steel from End-of-Life vehicles/ other steel scrap materials related to automobile sector processed at Registered Vehicle Scrapping Facility:

8. Details of Registered Vehicle Scrapping Facility-wise Extended Producer Responsibility certificates

Note.- Extended Producer Responsibility target compliance includes vehicles put to self-use by producers

Date:
Place:

Signature of the authorised person:

**FORM 2**

[see rule 5(5)]

**ANNUAL RETURN BY BULK CONSUMER**
[under the Environment Protection (End-of-Life Vehicles) Rules, 2025]

1. Name of Registered bulk consumer:
2. Registered address of bulk consumer, website address and contact details:
3. Name of the authorised person(s) and full address with e-mail, landline telephone number and mobile number:
4. Details of vehicles registered and End-of-Life vehicles deposited at Registered Vehicle Scrapping Facility, in case of bulk consumer:
    i. Number of vehicles registered (2 wheeler, 3 wheeler, 4 wheeler and transport or non-transport):
    ii. Number of vehicles which have completed age of ten years in case of diesel and fifteen years in case of petrol or CNG or electric vehicles:
    iii. Number of fit vehicles:
    iv. Number of unfit or End-of-Life vehicles:
    v. Number and details of End-of-Life vehicles deposited at Registered Vehicle Scrapping Facility

Place:
Date:

Signature of the authorised person:

IndiaCode

**FORM 3**

[see rule 8(3)]

**QUARTERLY RETURNS**

**BY REGISTERED VEHICLE SCRAPPING FACILITY**
[under the Environment Protection (End-of-Life Vehicles) Rules, 2025]

1. Name of Registered Vehicle Scrapping Facility:
2. Registered address of Registered Vehicle Scrapping Facility, website address and contact details:
3. Name of the authorised person(s) and full address with e-mail, landline telephone number and mobile number:
4. Capacity of Registered Vehicle Scrapping Facility in terms of no. of vehicles per annum:
5. Details of numbers of vehicles received and scrapped during the financial year of which the return is being filed:

| SI No. | Type | No. of End-of-Life vehicles received | No. of End-of-Life vehicles scrapped | Total weight of the vehicles scrapped | Total weight of steel scrap generated |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | 2 Wheeler (non-transport) | | | | |
| 2 | 2 Wheeler (transport) | | | | |
| 3 | 3 Wheeler (non-transport) | | | | |
| 4 | 3 Wheeler (transport) | | | | |
| 5 | 4 Wheeler (non-transport) | | | | |
| 6 | 4 Wheeler (transport) | | | | |

6. Details and number of Extended Producer Responsibility certificates generated and exchanged:

7. Details of the recovered and recyclable or refurbishable materials sent to the registered recycler or refurbisher including that of recycled or refurbished at Registered Vehicle Scrapping Facility during the financial year of which the return is being filed:

IndiaCode

| Serial Number | **Particulars** | **Quantity** | **Name(s) of registered recycler(s)/refurbisher(s)** |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Recovered waste tyres sent to the registered recyclers/refurbishers | | |
| 2 | Recovered e-waste sent to the registered recyclers/refurbishers | | |
| 3 | Recovered battery waste sent to the registered recyclers/refurbishers | | |
| 4 | Recovered plastic waste sent to the registered recyclers/refurbishers | | |
| 5 | Recovered used oil sent to the registered recyclers/refurbishers | | |
| 6 | Other recovered/recycled/refurbished materials | | |

8. Details of the hazardous and non-recyclable/non-refurbishable materials sent to Common Hazardous Waste Treatment, Storage and Disposal Facility during the financial year of which the return is being filed:

| **Particulars** | **Details with quantity** | **Name(s) of registered Common Hazardous Waste Treatment, Storage and Disposal Facility** |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| Recovered hazardous materials | | |

**FORM 4**

[See rule 10(1)]

**APPLICATION FOR REGISTRATION BY A PRODUCER**

[under the Environment Protection (End-of-Life Vehicles) Rules, 2025]

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Name of producer | |
| 2 | Registered address of producer, website address and contact details | |
| 3 | Name of the authorised person and full address with e-mail, landline telephone number and mobile number | |
| 4 | GST No. | |
| 5 | TIN No. | |
| 6. | Details of vehicles manufactured | |

Place:

Date:

Signature of the authorised person

IndiaCode

**FORM 5**

[see rule 10(2)]

**BY REGISTERED VEHICLE SCRAPPING FACILITY**

[under the Environment Protection (End-of-Life Vehicles) Rules, 2025]

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Name of the Registered Vehicle Scrapping Facility | |
| 2. | Registered address and website address | |
| 3. | Phone No. (landline and mobile) | |
| 4. | Email ID | |
| 5. | Authorised person(s) name | |
| 6. | Authorised person(s) email ID | |
| 7. | Authorised person(s) mobile number | |
| 8. | GST Number | |
| 9. | Consent Validity | a. Under the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981, valid up to -----<br>b. Under the Water (Prevention And Control Of Pollution) Act, 1974, valid up to --- |
| 10. | Validity of authorisation under rule 6 of the Hazardous Wastes (Management and Handling) Rules, 2016 | Valid up to ---------- |
| 11. | Validity of certification of registration with District Industries Centre | Valid up to ---------- |

| | | |
|---|---|---|
| 12. | Details of the categories of waste recycled/refurbished in the unit/sent to registered entities for reuse, recycling and refurbishing | |
| 13. | Capacity of the Registered Vehicle Scrapping Facility in no. of vehicles per annum | a. Installed<br>b. Operating (details of last three years) |

Place:

Date:

Signature of the authorised person

**FORM 6**

[see rule 10(2)]

**BY BULK CONSUMER**

[under the Environment Protection (End-of-Life Vehicles) Rules, 2025]

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Name of the organisation | | | | |
| 2. | Registered address and website address | | | | |
| 3. | Phone No. | | | | |
| 4. | Email ID | | | | |
| 5. | Authorised person(s) name | | | | |
| 6. | Authorised person(s) email ID | | | | |
| 7. | Authorised person(s) mobile number | | | | |
| 8. | Details of notification in regard to establishment of State Transport Undertaking under the Road Transport Corporation Act, 1950 or registration and its validity under Companies Act, 2013, as applicable (enclose a copy) | | | | |
| 9. | Number and details of vehicles registered or in the possession of the said organisation | Type of Vehicle | 2 Wheeler | 3 Wheeler | 4 Wheeler |
| | | Transport | | | |
| | | Non-transport | | | |
| | | Total | | | |
| | | Grand total | | | |

IndiaCode

Place:

Date:

Signature of the authorised person

**FORM 7**

[see rule 10(3)]

**FORMAT FOR CERTIFICATE OF REGISTRATION OF PRODUCER**

**CENTRAL POLLUTION CONTROL BOARD**
**CERTIFICATE OF REGISTRATION OF PRODUCER**

[under the Environment Protection (End-of-Life Vehicles) Rules, 2025]

Ref.: Your application number for registration Date:

Registration No.: …….

M/s---------- is hereby granted one-time registration as producer of End-of-Life vehicles in respect of End-of-Life vehicles as per the provisions of Environment Protection (End-of-Life Vehicles) Rules, 2025. Any violation of the provisions of the Environment Protection (End-of-Life Vehicles) Rules, 2025 will attract the penal provision of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986).

(Member Secretary)
Central Pollution Control Board

Date:
Place:

**FORM 8**

[see rule 10 (3)]

**FORMAT FOR REGISTRATION OF REGISTERED VEHICLE SCRAPPING FACILITY OR BULK CONSUMER**

**STATE POLLUTION CONTROL BOARD**

**CERTIFICATE OF REGISTRATION OF REGISTERED VEHICLE SCRAPPING FACILITY OR BULK CONSUMER**

[under the Environment Protection (End-of-Life Vehicles) Rules, 2025]

Ref.: Your application number for registration

Date:

Registration No.: …….

M/s ---------- is hereby granted one-time registration for Registered Vehicle Scrapping Facility or bulk consumer in respect of End-of-Life vehicles as per the provisions of Environment Protection (End-of-Life Vehicles) Rules, 2025. Any violation of the provisions of the Environment Protection (End-of-Life Vehicles) Rules, 2025 will attract the penal provision of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986).

(Member Secretary)
State Pollution Control Board

Date:
Place:

[F. No. 23/55/2021-HSM]

VED PRAKASH MISHRA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2025.01.06 23:06:52 +05'30'